रजिस्टर्ड नं०-एल०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 24 फरवरी, 2024 ई० (फाल्गुन 05, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पचायत।

खण्ड-घ

कार्यालय, जिला पंचायत, पीलीभीत

08 जनवरी, 2023 ई०

विज्ञापन बोर्ड

सं0 213/तेइस-123(2022-23)—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पचायत एव जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 के खण्ड (ग) सडको की उप-धारा (1)ग, में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत पीलीभीत अपने नियन्त्रणाधीन जिला पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार कार्य को विनियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से उपविधियाँ बनायी हैं, जिनकी पुष्टि आयुक्त, बरेली मण्डल,बरेली द्वारा कर दी गई है, इनका प्रकाशन अधिनियम की धारा-242(2) के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनाक से प्रभावी होंगी ।

उपविधि

1— यह उपविधि ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास तथा दीवार प्रचार कार्य को नियन्त्रित एव विनियमन की उपविधियाँ कहलायेंगी। यह उपविधियाँ राजकीय गज़ट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

2— परिभाषायें—(क) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (1961,) यथा संशोधित 1994 की धारा-2 (10) में यथा परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है ।

(ख) "विज्ञापनपट्ट या यूनीपोल" का तात्पर्य ऐसी होर्डिंग से है, जो किसी लोहे के स्तम्भ के सहारे खड़ी की गयी हो या लगाई गई हो ।

(ग) "क्यास" का तात्पर्य ऐसे साइन बोर्ड से है, जो किसी बिजली के खम्भे, टेलीफोन के खम्भे अथवा दीवार या वृक्ष के सहारे लगाया गया हो।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

(घ) "दीवार" प्रचार का तात्पर्य ऐसी विज्ञापन सामग्री से है, जो किसी दीवार पर पेंट, चूना, खड़िया, गेरू आदि से लिखित, चित्रित एवं चिन्हित किया गया हो।

(ङ) "अन्य प्रचार सामग्री" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है, जो किसी टीन के कपड़े से या फ्लैक्स बोर्ड पर लिखित, चित्रित एवं चिन्हित करके लगाया गया हो।

3– कोई भी व्यक्ति पीलीभीत-जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उपविधि की धारा-9 के अन्तर्गत निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करने, विधिवत् अनुमति प्राप्त करके ही विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास लगायेगा तथा दीवार प्रचार व अन्य प्रचार करेगा अन्यथा किसी भी दशा में नहीं।

4– इन उपविधियों के अन्तर्गत अपर मुख्य अधिकारी लाइसेंस अधिकारी होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी भी लाइसेंस जारी कर सकते हैं।

5– लाइसेंस अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की सूचना मिलने पर 15 (पन्द्रह) दिन के अंदर अध्यक्ष जिला पंचायत पीलीभीत के समक्ष ही हो सकेगी और अध्यक्ष जिला पंचायत का आदेश मानना दोनों पक्षों को बाध्यकारी होगा।

6– केवल उन्ही विज्ञापन पट्ट/यूनीपोल,क्यास व दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री को प्रदर्शित, स्थापित एवं चित्रित करने की अनुमति दी जायेगी जो अश्लील न हों और किसी भी तरह समाज विरोधी न हो।

7– लाइसेंस/ठेका के इच्छुक व्यक्ति, संस्था, फर्म अथवा कम्पनी को विज्ञापन सामग्री का विवरण विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री की साइज व किस-किस स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करना है को भी इंगित करते हुए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंस अधिकारी स्वयं या अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी के माध्यम से स्थल का निरीक्षण करा सकता है निरीक्षण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि उक्त विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास,दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री किसी ऐसे स्थान पर न हों जिससे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हों और वाहन चालकों की असुविधा के कारण दुर्घटना सम्भव न हों,तदोपरान्त निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात लाइसेंस जारी करेगा ।

8– लाइसेंसिंग अधिकारी किसी ऐसे विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार या अन्य प्रचार सामग्री को हटवा सकता है जो इन उपविधियो के अन्तर्गत उपयुक्त न पाये गये हों। लाइसेंस अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि ऐसे विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री हटाने में जो व्यय आयेगा वह सम्बन्धित व्यक्ति,फर्म,संस्था,कम्पनी से राजस्व की भाँति वसूल कर सकता है।

9– विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री की शुल्क दरें प्रतिवर्ष निम्न प्रकार होंगी।

जनपद पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाली समस्त सड़कें नगरपालिका एवं टाउन एरिया की सीमा को छोड़कर	विज्ञापनपट्ट/यूनीपोल की दरें	क्यास की दरें	दीवार प्रचार एवं अन्य प्रचार सामग्री की दरें।
	रुपया 100 प्रति वर्ग फुट	रुपया 100 प्रति वर्ग फुट	रुपया 300 प्रति वर्ग फुट

10– धारा-9 के अन्तर्गत निर्धारित दरों में परिवर्तन/परिवर्धन जिला पंचायत में विशेष प्रस्ताव से किया जा सकता है।

11– जिला पंचायत हित में लाइसेंस शुल्क वसूली का कार्य जनपदवार/तहसीलवार खुली निविदा आमंत्रित कर ठेके पर भी कराया जा सकता है। ठेके पद्धति के लिए ठेकेदारों के सम्बन्ध में जिला पंचायत अपने हित में शर्तों का निर्धारण कर सकती है।

12– केन्द्र तथा प्रदेश सरकार की नीतियो/कार्यक्रमो के प्रचार-प्रसार हेतु सरकारी विभागो द्वारा लगाये गये विज्ञापनपट्ट,क्यास,दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस मुक्त होंगी।

13– भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के किन्हीं अधिनियमों,नियमावलियों अथवा शासनादेश व विज्ञापनपट्ट,क्यास,दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्रियों के सम्बन्ध में जारी निर्देश यथावत् लागू माने जायेंगे।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

14– भारत निर्वाचन आयोग अथवा राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नियन्त्रण एवं निर्देश में सम्पन्न होने वाले चुनाव में सम्बन्धित प्रचार सामग्रियों एवं उपविधियों के अर्न्तगत लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त समझे जायेंगे। शर्त यह है कि उपरोक्त निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा दिशा निर्देश जारी न किये गये हो।

15– इन उपविधियों के अर्न्तगत लाइसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी। आगामी 30 अप्रैल तक जैसे भी हो,उपविधि की धारा-9 में निर्धारित शुल्क जमा करके नवीनीकरण किया जा सकेगा, यदि लाइसेंसधारी द्वारा 30 अप्रैल तक अपना लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया तो प्रति तिमाही लाइसेंस शुल्क की 25 प्रतिशत अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देने पर ही नवीनीकरण किया जा सकेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रुपया 1000.00 तक हो सकेगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि आगे अपराधी अपराध करता रहा है, रुपया 100.00 प्रतिदिन तक अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारागार से दण्डित किया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

नवीन उपविधि/उपनियम पशु-बाजार

स० 214/तेइस-124(2022-23)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239(2)(ड.)के अर्न्तगत जनपद पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु-बाजार,पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से नवीन उपविधि/उपनियम बनाये गये हैं,जो आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली की स्वीकृति/राजकीय गजट में प्रकाशन उपरान्त प्रभावी होंगे।

उपविधियॉ

1– यह उपविधियॉ जिला पंचायत, पीलीभीत के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी को नियंत्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधियॉ कहलायेंगी।

2– इन उपविधियों के अर्न्तगत–

(1) ग्रामीण क्षेत्रों का तात्पर्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित 1994) में दी गई परिभाषा से है।

(2) पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है जहॉ जिला पंचायत, किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय-विक्रय हेतु पशु लाये जाते हो ।

3– पशुओं का तात्पर्य सभी भॉति एवं श्रेणी के पशुओं से है।

4– रजिस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है। जो पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी में पशुओं के क्रय-विक्रय का पंजीयन करें। किसी पशु बाजार/पशु पैठ/पशु मेला में उसके संचालन अथवा प्रबन्ध की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेंस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जायेगा।

5– दलाल का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसे जिला पंचायत के लाइसेंस अधिकारी द्वारा पशु बाजारों/पशु मेलों/पशु पैंठो में दलाली कार्य हेतु लाइसेंस दिया गया हो।

6– ठेकेदार का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे जिला पंचायत के किसी पशुबाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी हेतु ठेकों की शर्तों के अनुरुप नियत अवधि के लिए प्रबंध के निमित्त अवधि के लिए प्रबंध के निमित्त अधिकृत किया गया हो।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

7– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस अधिकारी होगें।

8– नये पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी आयोजित करने से पूर्व जिलाधिकारी की अनुमति तथा शांति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस विभाग की आख्या के उपरान्त ही जिला पंचायत के लाइसेंस अधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।

9– किसी पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु संचालक/प्रबंधक को प्रार्थना-पत्र के साथ स्थल का क्षेत्रफल चौहद्दी का पूर्ण विवरण दर्शित करते हुए खसरा- खतौनी की नकल के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उस पर विचार किया जायेगा ।

10– पशु बाजार/पशु पैठ/पशु मेला हेतु प्रस्तावित भूमि पर छायादार वृक्षों, पशुओं के खड़े होने, बैठने अथवा ठहरने के लिए आवश्यक स्थान व अन्य सुविधायें रोशनी हवा एव पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखनी होगी।

11– लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। लाइसेंस का नवीनीकरण 30 अप्रैल तक कराना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात रूपया 400.00 प्रतिमाह अथवा इसके किसी भाग पर विलम्ब शुल्क जमा करके ही लाइसेंस का नवीनीकरण हो सकेगा।

12– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के प्रबंधों का निरीक्षण समय-समय पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। उप मुख्य चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा पशु बाजार/पशु पैठ/पशु मेला का निरीक्षण किया जा सकता है। जांच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर करना संचालक/प्रबंधक/ठेकेदार के लिए अनिवार्य होगा।

13– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी स्थल से 08 किलोमीटर के अंदर उसी दिवस हेतु किसी दूसरे पशु मेले, पशु बजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु सामान्यतः लाइसेंस नहीं दिया जायेगा ।

14– जिला पचायत के अध्यक्ष को जिला पंचायत की स्वीकृति से जिला पंचायत के किसी पशु बाजार/पशु मेला/पशु पैठ को नियत अवधि के लिए ठेके पर देने का अधिकार होगा, परन्तु सामान्य परिस्थितियों में ठेका सार्वजनिक नीलाम के माध्यम से किया जायेगा।

15– जिला पंचायत द्वारा ठेके दिये जाने की स्थिति में अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भाँति की जा सकेगी।

16– कोई व्यक्ति पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी में किसी पशु का क्रय-विक्रय रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा उसकी विकी की रजिस्ट्री कराये बिना नहीं कर सकेगा तथा रजिस्ट्री सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात नहीं की जायेगी।

17– रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री की रजिस्ट्री पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर करेगा।

18– रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिकी पर रजिस्ट्री करते समय एक प्रतिशत केता एवं एक प्रतिशत विकेता से पूरे मूल्य पर शुल्क वसूल करेगा जो किसी भी दशा में रूपया 100.00 से कम नहीं होगा। प्रतिबंध यह है कि जिला पंचायत को विशेष संकल्प द्वारा इन उपविधियो में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुल्क स्थानीय परिस्थितियों के कारण बढ़ा देने अथवा कम करने का अधिकार होगा।

19– रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिकी का प्रमाण-पत्र अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियम-183(2) के अर्न्तगत पुलिस फार्म 54 में भरकर देगा तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा । एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की रजिस्ट्री की जायेगी।

20– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के संचालन अथवा प्रबंधक के लिए यह अनिवार्य होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियम-183(2) के अर्न्तगत पुलिस फार्म 54 पुस्तके जिला पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात प्राप्त करके पशुओं के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयोग में लायेगा और प्रतिपर्ण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करेगा । यह शर्त ठेकेदार पर यथावत् लागू होगी।

21– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के संचालन अथवा प्रबंधक अथवा ठेकेदार के लिए यह आवश्यक होगा कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन तथा शर्तो की सूचियां रजिस्ट्रेशन में बैठने के स्थान पर चिपकाया हो ।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

22– कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी पशु बाजार, पशु पैठ में संक्रामक रोग से पीडित पशुओं को नहीं लायेगा एतदर्थ नियुक्त जिला पंचायत के अधिकारी अथवा किसी पशु बाजार/पशु मेला/पशु पैठ के संचालक/प्रबंधक को अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रस्त किसी भी पशु को प्रवेश न करने दें अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

23– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के निम्नलिखित लाइसेंस शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा–

(1) सप्ताह में एक बार लगने वाले छोटे पशु बाजार, पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क रुपया 10,000.00

(2) सप्ताह में दो बार या दो से अधिक बार छोटे पशु बाजार, पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क रुपया 15,000.00

(3) सप्ताह में एक बार लगने वाले बड़े पशु बाजार/पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क रुपया 15,000.00

(4) वर्ष में एक बार 15 दिन या उससे अधिक लगने वाले पशु मेले का लाइसेंस शुल्क रुपया 20,000.00

(5) सप्ताह में दो या दो से अधिक बार लगने वाले पशु मेले लाइसेंस शुल्क रुपया 25,000.00 ।

24– जिला पंचायत पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी में क्रेता एवं विक्रेता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने हेतु दलाल को लाइसेंस दिया जायेगा। कोई व्यस्क एवं स्वस्थ्य मस्तिष्क का व्यक्ति ही दलाल का लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा ।

25– रुपया पाँच हजार वार्षिक शुल्क अदा करने पर लाइसेंस अधिकारी द्वारा दलाल को लाइसेंस दिया जायेगा।

26– दलाल को प्रत्येक पशुओं की बिक्री पर निम्न कमीशन पाने का अधिकार होगा, उक्त कमीशन क्रेता तथा विक्रेता द्वारा आधा-आधा दिया जायेगा–

(1) पशु एक हजार रुपये तक मूल्य पर रुपया 5.00 ।

(2) पशु के एक हजार रुपये से ऊपर तक मूल्य रुपया 15.00 ।

27– जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी स्वामित्व में लगने वाले पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के निकट सुविधाजनक स्थानों पर पशुओं के लदान व उतरने के लिए अड्डों की व्यवस्था संचालक/प्रबंधक अथवा ठेकेदार को करनी होगी।

28– निजी पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला अथवा पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत के निर्देशानुसार यथोचित व्यवस्था करनी होगी। यदि वह ऐसी व्यवस्था नहीं करता है तो लाइसेंस अधिकारी द्वारा उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

29– संचालक/प्रबंधक/ठेकेदार की पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन बनाये गये पशुओं के परिवहन नियम 1978 पशुओं का पैदल परिवहन नियम 2001 एवं गोवंशीय पशुओं के विषय में बने गौवध निवारण अधिनियम, 1955 का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

30– पशु बाजार, पशु पैठ, पशु मेला की नवीन अनुज्ञप्ति देने से पूर्व उक्त नियमों को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित पशु बाजार/पशु पैठ/पशु मेला/पशु प्रदर्शनी में उक्त नियमों/उपविधियों का सम्यकरूप से अनुपालन कराया जायेगा, प्राप्त करने के उपरान्त ही नवीन लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) 1994 की धारा-240 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिला पंचायत पीलीभीत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रुपया 1,000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपया 50.00 तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

19 जनवरी, 2024 ई0

सं0 262-63/तेइस-26(2023-24)--उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) 1994 की धारा-239(2) (ड) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कारखानों या फैक्ट्रियों आदि को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु संशोधित उपनियम बनाये है, जिसकी पुष्टि उक्त एक्ट की धारा-242(2) के अन्तर्गत आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली द्वारा की गई है, तथा जो राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू है, तथा जो विज्ञप्ति संख्या 1017-18/इक्कीस-69 (2002-03) दिनांक 05 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित हुई है तथा वर्तमान में प्रभावी है, में निम्न संशोधन जो स्वीकृति/राजकीय गजट में प्रकाशन के उपरान्त पूर्व चालित दरों के स्थान पर प्रभावी होंगे--

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
1	मिनी प्लान्ट 22 हॉर्स पावर तक	1,000	1,500
2	आटा चक्की 22 हॉर्स पावर तक	200	500
3	मसाला चक्की	200	500
4	रूई मशीन	200	500
5	पावर कोल्हू	400	1,000
6	स्पेलर	200	500
7	ट्रेक्टर द्वारा संचालित आटा चक्की	–	500
8	ट्रेक्टर द्वारा संचालित मिनी प्लांट	–	2,000
9	ट्रेक्टर द्वारा संचालित स्पेलर	–	500
10	खाण्ड मशीन	–	1,000
11	स्टोन क्रेशर/पत्थर कूटने की मशीन	–	20,000
12	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	–	5,000
13	शीशा बनाने का कारखाना	–	3,000
14	पुराने एवं नये कपड़ों की कतरन से रूई बनाने का कारखाना प्रत्येक मशीन	–	500
15	कीटनाशक जैविक कारखाना	–	5,000
16	चमड़ा टेनरी का कारखाना	–	25,000
17	रेशम कपड़ा बनाने का कारखाना	–	4,000
18	सरिया बनाने का कारखाना	–	15,000
19	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्टी)	–	10,000
20	गत्ता एवं कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता तक)	–	10,000
21	गत्ता एवं कागज बनाने का कारखाना (10 टन से ऊपर 20 टन की क्षमता तक)	–	15,000
22	गत्ता एवं कागज बनाने का कारखाना (20 टन से ऊपर 30 टन की क्षमता तक	–	30,000
23	गत्ता एवं कागज बनाने का कारखाना (30 टन से अधिक)	–	50,000
24	मुर्गी/मुर्गा दाना का कारखाना	–	3,000

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
25	पेट्रोल पम्प का टैंक वनाने का कारखाना	–	10,000
26	फोम के गद्दे वनाने का कारखाना	–	15,000
27	ट्रांसफार्मर फैक्ट्री	–	20,000
28	स्टील के वर्तन वनाने का कारखाना	–	15,000
29	एयर कंडीशनर वनाने का कारखाना	–	10,000
30	पिपरमिण्ट बनाने का कारखाना	–	5,000
31	पेपर रोल वनाने का कारखाना	–	8,000
32	पेपर कोन वनाने का कारखाना	–	4,000
33	दूध का पाउडर अथवा दूध से अन्य सामान वनाने का कारखाना	–	20,000
34	स्टील आयरन आदि से पाइप वनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई तक)	–	25,000
35	स्टील आयरन आदि से पाइप वनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई से अधिक)	–	50,000
36	मशीन के पुर्जे की कांटे एवं नट वोल्ट का कारखाना	–	7,000
37	फल, सब्जी, गुड़ व खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड-स्टोर)	–	10,000
38	पत्थर तथा ईट की रोड़ी एवं सुर्खी वनाने का कारखाना	–	5,000
39	चीनी मिट्टी के वर्तन वनाने का कारखाना	–	7,000
40	रवड़ की वस्तु वनाने का कारखाना	–	5,000
41	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशे, तांबे, टीन की वस्तुएं वनाने का कारखाना	–	10,000
42	तेल/घी वनाने का कारखाना	–	30,000
43	कृशि सम्वन्धित यंत्र वनाने का कारखाना	–	5,000
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	–	5,000
45	फर्टिलाइजर कीटनाशक दवाई वनाने का कारखाना	–	10,000
46	खाण्ड एवं गुड़ के यंत्रों का कारखाना	–	5,000
47	कोयले की राख से वाई प्रोडक्ट या टिकली वनाने का कारखाना	–	1,500
48	विजली का सामान वनाने का कारखाना	–	5,000
49	कपड़ा, कम्वल, वोरा, कट्टा आदि की रंगाई, फिनिशिंग एवं कपड़ा, कम्वल वनाने का कारखाना	–	10,000
50	पिक्चर ट्यूव वनाने का कारखाना	–	5,000
51	हाट मिक्स प्लांट	–	50,000
52	प्रिटिंग प्रेस या आफसेट मशीन	–	3,000
53	गंधक, फिटकरी या कलमी शोरा वनाने का कारखाना	–	2,000
54	सीमेण्ट वनाने का कारखाना	–	25,000

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
55	टेलीविजन बनाने का कारखाना	–	10,000
56	माचिस बनाने का कारखाना	–	5,000
57	बटन बनाने का कारखाना	–	6,000
58	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	–	3,000
59	प्लाइवुड एवं माइका बनाने का कारखाना	–	10,000
60	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना	–	50,000
61	दवाई बनाने का कारखाना	–	15,000
62	वेल्डिंग राड बनाने का कारखाना	–	6,000
63	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	–	6,000
64	ढलाई का कारखाना कोयले द्वारा	–	5,000
65	स्टील अलमारी, बक्से, फर्नीचर बनाने का कारखाना	–	6,000
66	पशु आहार बनाने का कारखाना	–	5,000
67	चमड़े के सामान बनाने का कारखाना	–	4,000
68	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	–	7,000
69	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	–	15,000
70	साकिट बनाने का कारखाना	–	5,000
71	लेमिनेशन का कारखाना	–	5,000
72	केमिकल बनाने का कारखाना	–	8,000
73	धागा बनाने का कारखाना	–	5,000
74	धागा डबलिंग का कारखाना	–	7,000
75	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	–	2,000
76	निकिल पालिस (निकिल-प्लांट)	–	5,000
77	रांगा बनाने का कारखाना	–	5,000
78	चिलिंग प्लांट/दूध एकत्रित करना,आपूर्ति करना	–	8,000
79	पनीर बनाने का लघु उद्योग	–	2,000
80	दूध पैकेजिंग का कारखाना	–	6,000
81	टीन का समान बनाने का कारखाना	–	5,000
82	गम टेप बनाने का कारखाना	–	4,000
83	रबड़ टायर,ट्यूब बनाने का कारखाना	–	15,000
84	टायर रिट्रेडिंग	–	5,000
85	कांच के सामान बनाने का कारखाना	–	1,500
86	आटोमोटर्स बनाने का कारखाना	–	5,000
87	गैस बाटलिंग प्लांट	–	25,000
88	तार बनाने का कारखाना	–	15,000
89	चार पहिया वाहन बनाने का कारखाना	–	1,00,000

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
90	तार की जाली बनाने का कारखाना	–	5,000
91	कुटीर उद्योग (25 लाख तक की लागत वाला)	–	5,000
92	लालटेन बनाने का कारखाना	–	3,000
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	–	5,000
94	लघु उद्योग (25 लाख से अधिक 5 करोड तक)	–	20,000
95	बैट्री बनाने का कारखाना	–	5,000
96	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	–	5,000
97	दो पहिया वाहन बनाने का कारखाना	–	50,000
98	रेडीमेड (गारमेन्ट उद्योग)	–	15,000
99	रंग बनाने का कारखाना	–	5,000
100	पट्टा बनाने का कारखाना	–	5,000
101	कमानी बनाने का कारखाना	–	10,000
102	तिरपाल बनाने का कारखाना	–	10,000
103	आतिशबाजी संबंधी सामान बनाने का कारखाना	–	10,000
104	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	–	5,000
105	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	–	3,000
106	गैस भरने का कारखाना	–	5,000
107	गैस सिलेन्डर बनाने का कारखाना	–	10,000
108	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	–	5,000
109	मध्यम उद्योग (लागत 5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक)	–	50,000
110	भारी उद्योग (10 करोड से अधिक)	–	1,00,000
111	आक्सीजन प्लांट	–	10,000
112	अचार, जैम, सिरका, सोया, चिप्स बनाने का कारखाना	–	10,000
113	विद्युत उत्पादन प्लाट	–	50,000

टिप्पणी– इन उपविधियों के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क इस प्रकार होगा यह शुल्क वर्ष में एक बार देय होगा, जिसकी अवधि 01 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक की होगी। इसे स्वयं व्यवसायी को जिला पंचायत कार्यालय में अथवा जिला पंचायत द्वारा अधिकृत वसूली कर्मचारी के पास जमा करना होगा। यह शुल्क प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को देय होगा जो 30 जून तक जमा करने पर विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा 30 जून के पश्चात् जमा करने पर निर्धारित शुल्क पर 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क सहित जमा करना होगा विलम्ब शुल्क की गणना माह अप्रैल से की जायेगी।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

सं0 264-65/तेइस-29(2023-24)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) 1994 की धारा-239(2)(ड) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत पीलीभीत ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित वस्तु, खाद्य पदार्थ, मशीनरी आदि की दुकानों को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु संशोधित उप नियम बनाये है, जिनकी पुष्टि एक्ट की धारा-242(2) के अन्तर्गत आयुक्त बरेली मण्डल बरेली ने की है जो राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू है तथा जो विज्ञप्ति संख्या-2184-2185(3)-21-7(87-88) दिनांक 17 सितम्बर, 1988 एवं विज्ञप्ति संख्या-663-664/इक्कीस-42 (04-05 दिनांक 30 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित हुई है तथा वर्तमान में प्रभावी है, में निम्न संशोधन जो स्वीकृति/राजकीय गजट में प्रकाशन के उपरान्त पूर्व चालित दरों के स्थान पर प्रभावी होंगे–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
1	केवल परचून या कपड़े की दुकान	150	500
2	गल्ले की दुकान या व्यापारी जिसके पास 20 कुन्तल तक हो	150	500
3	गल्ले की दुकान या व्यापारी जिसके पास 20 कुन्तल से अधिक हो	500	1,000
4	सोना चांदी के आभूषण बनाने तथा बिक्री वाली दुकान	1,000	2,000
5	आभूषण मरम्मत करने वाले पर	100	500
6	फड़ वाले या तुलाई करने वालो पर	50	200
7	मेडिकल स्टोर या दवाई की दुकान पर	150	1,000
8	केवल हलवाई की दुकान	150	500
9	पुस्तक या कापी की दुकान	75	500
10	लोहे एल्युमिनियम के बर्तन, औजार आदि की दुकानें	150	1,000
11	लोहे के सामान सरिया, एंगिल आदि की दुकान पर	300	1,500
12	शरबत लस्सी या सोड़ा वाटर की दुकान पर	75	500
13	आरा मशीन एवं लकड़ी की टाल पर	1,000	2,000
14	ईंधन जलाने हेतु लकड़ी की दुकान पर	75	500
15	लकड़ी की टाल पर	150	1,000
16	कोयला जलाने वाली ईंधन की दुकान	75	500
17	अन्य व्यवसाय की दुकान जिसमें 50 हजार रुपये से कम का सामान हों	–	500
18	अन्य व्यवसाय की दुकान जिसमें 50 हजार से 1 लाख तक का सामान हो	–	1,000
19	अन्य व्यवसाय की दुकान जिसमें 1 लाख से 3 लाख तक का सामान हो	–	2,000
20	अन्य व्यवसाय की दुकान जिसमें 3 लाख से 5 लाख तक का सामान हो	–	4,000
21	ग्रामीण क्षेत्रों के मेलों में जो व्यक्ति कोई व्यवसाय करेगा और जिसके पास पूर्व से जिला पंचायत का लाइसेंस न हों।	150	1,000
22	कपड़ा धोने वाली दुकान(ड्राईक्लीन/मशीन द्वारा)	150	500
23	लाटरी टिकट बेचने वाली दुकान पर	150	–

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
24	कृषि सम्बन्धी मशीनरी मोटर/यंत्रों/पार्ट्स की दुकान	300	1,000
25	साइकिल मरम्मत की दुकान	75	200
26	नई साइकिल की दुकान	225	1,000
27	पेट्रोल पम्प एवं डीजल पम्प	1,500	5,000
28	सी.एन.जी. पम्प पर	--	2,500
29	पेट्रोल डीजल की दुकान पर	225	1,000
30	जूते की दुकान पर	75	500
31	रासायनिक खाद की दुकान पर	225	1,000
32	नलकूप, योरिंग, हैण्ड पम्प की दुकान	150	1,000
33	प्रोविजन स्टोर/जनरल स्टोर	150	500
34	हकीम, वैद्य, डाक्टर की दुकान पर	150	1,000
35	मिट्टी चिकनाई टायर, ट्यूब,मोटर साइकिल, स्कूटर पार्टस की दुकान	150	500
36	मोटर साइकिल, डनलप पहियों आदि की मरम्मत की दुकान	75	500
37	फल अथवा सब्जी की दुकान पर	75	500
38	फोटो ग्राफी, तस्वीर वेचने की दुकान पर	75	500
39	शक्कर की दुकान पर	75	500
40	आतिशवाजी की दुकान पर	75	1,000
41	देशी शराव/अंग्रेजी शराव/वीयर की दुकान	3,000	5,000
42	भांग की दुकान पर	150	500
43	सावुन वनाने के कारखाने पर	300	1,000
44	वर्फ या आइसक्रीम के कारखाने पर	750	3,000
45	गैस या इलैक्ट्रानिक वैल्डिंग की दुकान पर	75	500
46	विजली के सामान की दुकान पर	100	500
47	विजली मोटर आदि की मरम्मत की दुकान पर	75	300
48	फर्नीचर इमारती लकडी/फर्नीचर वनाने की दुकान पर	150	1,000
49	लोहार की दुकान	50	500
50	चूड़ी की दुकान पर	50	200
51	टेलीविजन, रेडियो, लाउडस्पीकर की दुकान	150	500
52	वैलगाड़ी डनलप की दुकान	200	–

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4
		प्रतिवर्ष (रु0)	प्रतिवर्ष (रु0)
53	होटल ढाया	300	2,000
54	रैस्टोरेन्ट होटल	–	15,000
55	दूध एव घी की दुकान	150	500
56	किसी प्रकार का ऐजेण्ट /आढ़तिया/प्रापर्टी डीलर	400	5,000
57	प्लास्टिक के सामान उत्पादक कारखानों पर	1,500	5,000
58	खराद मशीन आदि की दुकान	300	1,000
59	घडी रेडियों आदि की दुकान	50	200
60	ट्रैक्टर ट्राली, रवड के पहियों की दुकान	300	1,000
61	वॉस-वल्ली की दुकान	200	500
62	वारवर (नाई) सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकान	–	500
63	विल्डिग मैटेरियल वालू, मोरंग, पटरा वल्ली आदि	–	1,000
64	सीमेण्ट की दुकान पर	–	2,000
65	टेन्ट की दुकान पर	–	1,000
66	तम्वाकू /किमाम उद्योग	–	7,000
67	कवाड की दुकान पर	–	500
68	प्लास्टिक सामान की दुकान, फर्नीचर आदि	–	1,000
69	चार पहिया वाहन ट्रक, ट्रेक्टर, जीप आदि के वर्कशाप	225	2,000
70	भण्डार गोदाम	–	10,000
71	गैस सिलेण्डर की विक्री, मरम्मत एवं गैस भराई आदि की दुकान	750	–
72	एजेन्सी चार पहिया वाहन	–	10,000
73	एजेन्सी छः पहिया वाहन	–	20,000
74	आयातक / निर्यातक कं0	–	25,000
75	नवीन मोवाइल की दुकान / मरम्मत की दुकान	–	1,000
76	रंग पेन्ट की दुकान	–	1,000
77	उपरोक्त के अतिरियत दुकान स्टोर आदि	–	5,000

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

सं0 266-67/तेइस-124(2023-24)—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239 (2) (ड) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मधुमक्खी पालन, मुर्गी एवं कुक्कुट पालन, बीड़ी फैक्ट्री, मैथा प्लान्ट/फैक्ट्री, मोटर साइकिल ट्रैक्टर एजेन्सी आदि को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु संशोधित उप नियम बनाये है, जिसकी पुष्टि उक्त एक्ट की धारा-242 (2) के अन्तर्गत आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली द्वारा की गई है, जो राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू है, जो विज्ञप्ति संख्या 1051-1052/इक्कीस-20 (2011-12) दिनांक 01.05.2012 द्वारा प्रकाशित हुई है तथा वर्तमान में प्रभावी है, में निम्न संशोधन जो स्वीकृति/राजकीय गजट में प्रकाशन उपरान्त पूर्व चालित दरों के स्थान पर प्रभावी होगी—

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	मधुमक्खी पालन	1,000	2,000
2	मुर्गी एवं कुक्कुट पालन	1,000	2,000
3	बीड़ी फैक्ट्री	2,000	5,000
4	नमकीन फैक्ट्री/बेकरी	1,000	2,000
5	मैथा प्लान्ट/ फैक्ट्री	1,000 (एक टैंक)	2,000 (एक टैंक)
		2,000 (दो टैंक)	4,000 (दो टैंक)
6	सीमेण्ट कंकरीट पाइप फैक्ट्री	5,000	10,000
7	अस्पताल/नर्सिंगहोम	5,000	10,000
8	मोटर साइकिल/ ट्रैक्टर ऐजेन्सी	3,000	5,000
9	ई-रिक्शा एजेन्सी	–	3,000
10	मत्सय आखेट	1,000	2,000
11	मोबाइल टावर	5,000	–
12	होर्डिंग/बोर्डिंग द्वारा विज्ञापन	500 (एक अदद बड़ा)	–
		100 (एक अदद छोटा)	–
13	शापिंग मॉल/हरियाली/सुपर मार्केट	10,000	25,000
14	बारातघर/मैरिज हाल/रिसोर्ट	10,000	15,000
15	जनरेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति के व्यवसाय पर	5,000	6,000
16	दुग्ध डेरी (पाँच भैंस/गाय से ऊपर)	1,000	2,000
17	धर्मकांटा	2,000	4,000
18	पेपर ब्लाक इण्डस्ट्रीज (सीमेण्ट ईंट)	5,000	10,000
19	सीड प्लांट (बीज विधायन संयंत्र)	5,000	10,000

Scanned with OKEN Scanner

स0 268-69/तेइस-27(2023.24)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239 (2) (इ) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पचायत, पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ईट भट्टा, राइस मिल, चीनी मिल, क्रेशर सल्फरप्लान्ट एवं गैस ऐजेन्सी आदि को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु संशोधित उप नियम बनाये है, जिसकी पुष्टि उक्त एक्ट की धारा-242 (2) के अन्तर्गत आयुक्त, बरेली मण्डल बरेली, ने की है, जो राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू है, जो विज्ञप्ति संख्या 1017-18/इक्कीस-69 (2002-03) दिनांक 05 मई, 2003 विज्ञप्ति संख्या 2280-81/21-41 (90-91) दिनांक 10 सितम्बर, 1991 एवं विज्ञप्ति संख्या 1330-31/21-85 (95-96) दिनांक 19 जून, 1999 एवं विज्ञप्ति संख्या 914-15/इक्कीस-14 (2008-09) दिनाक 14 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित हुई है तथा वर्तमान मे प्रभावी है, में निम्न संशोधन जो स्वीकृति/राजकीय गज़ट में प्रकाशन उपरान्त पूर्व चालित दरों के स्थान पर प्रभावी होगी–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	ईट भट्टा	10,000	15,000
2	राइस मिल 1 टन	5,000	–
	राइस मिल 2 टन	10,000	–
	राइस मिल 3 टन	15,000	–
	राइस मिल	–	20,000
3	चीनी मिल, शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000	1,00,000
4	क्रेशर सल्फर प्लान्ट, शक्कर कारखाना जहां क्रेशर से गन्ने का रस निकालकर खांड या शक्कर बनाई जाती है।	10,000	20,000
5	गैस एजेन्सी	5,000	10,000
6	फ्लोर मिल/गल्ला मिल/दाल मिल/आयल मिल आदि	20,000	30,000

(ह0) अस्पष्ट,
आयुक्त,
बरेली मण्डल,
बरेली।

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 3–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner